

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर के पदस्थापन काल में दिनांक-१४/०८/२०२२ से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा० कुमार के विरुद्ध अनुबन्ध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१७ के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

२. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१७ के अधीन डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०९, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

३. डा० कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हों।

४. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०४-२८/२०२२(स्वा०)...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०४-२८/२०२२(स्वा०)...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०९, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०४-२८/२०२२(स्वा०)...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, मुंगेर/डा० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२ सिविल सर्जन, मुंगेर से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

31/12/2024

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापन

सं०सं०-9/आ०-04-28/2022(स्वा०).....४२०(९)/ पटना, दिनांक ०५.०८.२३

सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक-2866 दिनांक-10.10.2022 के द्वारा डॉ० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर के विरुद्ध दिनांक-14.08.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदन किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप से संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र-क) अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, लांछनों का अभिकथन तथा आरोप को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए डॉ० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर से अपेक्षा की जानी है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह भी बताएँकी जिन लांछनों को उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है उनकी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

3. डॉ० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवचार या कदाचार के लांछनों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन अगर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जाँच एक पक्षीय उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

4. कृपया इस आरोप पत्र की प्राप्ति स्वीकार दिया जाय।

४५
०१.८.२३

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक:-9/आ०-04-28/2022(स्वा०).....४२०(९)/ पटना, दिनांक ०५.०८.२३

प्रतिलिपि:-डॉ० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४५
०१.८.२३

सरकार के संयुक्त सचिव।

२

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आरोप-पत्र

[नियम-17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

(1) प्रथम भाग-सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम - डॉ० रुपेश कुमार,
2. पदनाम - चिकित्सा पदाधिकारी,
3. जन्म तिथि - 03.12.1986
4. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.12.2053
5. सेवा/संवर्ग का नाम - बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग
6. पद समूह एवं विभाग - 'ख' / स्वास्थ्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक -
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन पर - ग्रेड पे-5400 लेवल-09 (9300-34800)
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन - 2022 एवं सदर अस्पताल, मुंगेर।
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम

43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि- 31.12.2057।

11. पत्राचार का पता - पिता- नित्यानन्द यादव, गाँव-पथड़डा,
प्रखंड-फुल्लीडुमर, पो०-फुल्लीडुमर
जिला- बांका, पिनकोड-813101

820(9)
04.08.23

01.8.23

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(2). द्वितीय भाग—अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक—2866 दिनांक—10.10.2022 द्वारा डॉ० रूपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर के विरुद्ध पदस्थापन अवधि में दिनांक—14.08.2022 से अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से बाहर जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया, जो अनधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इससे निर्धारित रोरटर ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न हुई। यह कृत्य घोर लापरवाही को दर्शाता है।
2. आपका उक्त कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।
3. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम—3 (1) (i) (ii) एवं (iii) तथा नियम—4 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं मनमानेपन का द्योतक है।

01.8.23

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

820(9)
04.08.23

७५

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(3). तृतीय भाग—अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक-2866 दिनांक-10.10.2022 द्वारा डॉ० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर के विरुद्ध पदस्थापन अवधि में दिनांक-14.08.2022 से अवकाश आवेद स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से बाहर जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया, जो अनधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इससे निर्धारित रोल्टर ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न हुई। यह कृत्य घोर लापरवाही को दर्शाता है।
2. आपका उक्त कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।
3. आपके द्वारा कर्तव्य अवधि में मुख्यालय से बाहर निजी क्लिनिक में जाकर रोगी को देखना तथा निजी तौर पर ऑर्थोपार्जन करना एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य है जो प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आता है। आपका उक्त आचरण सरकारी सेवक के आचरण के विपरित है।
4. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (i) (ii) एवं (iii) तथा नियम-4 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं मनमानेपन का द्योतक है।

820 (9)
04.08.23

७५
(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

73
53

(4). चतुर्थ भाग—(क) दस्तावेजों की सूची
(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०सं०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	रिविल सर्जन, मुंगेर के पत्राक 2866 दिनांक—10.10.2022	कुल 9 पृष्ठ
		कुल—9 पृष्ठ

(ख) साक्षियों की सूची (शून्य)

820 (9)
04.8.23

04.8.23
(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
2

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

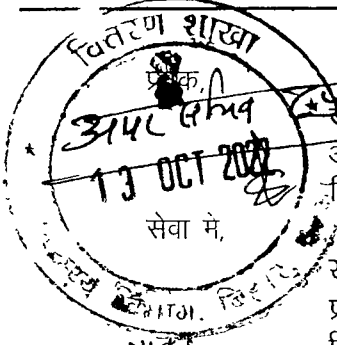
Mobile No. 947003466

Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,



बिहार सरकार

पत्रांक..... /



प्रमाण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सरकार के संयुक्त सचिव,
प्रशाखा-9, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

OSD-9
18/10/22

मुंगेर, दिनांक :-

डा० रुपेश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर के विरुद्ध विहित आरोपों के क्रम में प्रपत्र 'क' का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सादर कहना है कि डा० रुपेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर का अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति, स्वेच्छाचारी आचरण, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन आदि आरोपों को संदर्भित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठन कर भेजा जा रहा है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रोत्तर कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यशोवन्ता।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 23.6.6 / मुंगेर, दिनांक :- 10.10.2022 /

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।
18/10/22

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

प्रपत्र "क"

- (1) नाम:- डा० रूपेश कुमार
 (2) पदनाम:- चिकित्सा पदाधिकारी,
 (3) वर्तमान पदस्थापित स्थान:- सदर अस्पताल, मुंगेर।
 (4) जन्म तिथि - 03.12.1986
 (5) नियुक्ति की तिथि:- स्वा०विभागीय अधिसूचना सं० 1017(2)/स्वा.दिनांक 11.9.2020
 (6) योगदान की तिथि- 16.09.2020
 (7) सेवानिवृत्ति की तिथि :- 31.12.2053
 (8) वेतनमान :- 9300-34800 ग्रेड पे- 5400
 (9) पत्राचार का पता :- पिता - नित्यानन्द यादव,
 गाँव - पथड़डा, प्रखण्ड - फुल्लीडुमर,
 पोस्ट - फुल्लीडुमर, जिला - बांका,
 पिन कोड - 813101
 मो० - 9006766679

क्रम	संदर्भ	साक्ष्य	आरोप की प्रकृति
1	सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारु संचालन हेतु आपकी रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनांक 14.8.2022 को बिना अवकाश आवेदन रवीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति का द्योतक है।	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का पत्रांक 982 दिनांक 02.09.22	अनाधिकृत अनुपस्थिति
2	सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर ड्यूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी। एक सरकारी सेवक एवं चिकित्सक के रूप में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के कारण जनहितकारी व्यवस्था में कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशानुसार क्रियान्वयन में आपके निष्ठा एवं समर्पण के अभाव को दर्शाता है।		निष्ठा एवं समर्पण के अभाव
3	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2312 दिनांक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है।	पत्रांक 2312 दिनांक 03.09.2022, पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022	उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन
4	चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		सरकारी कार्य में बाधा
	आपकी पदस्थापना सदर अस्पताल, मुंगेर में 24X7 अन्तर्गत चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए किया गया था।		

(28/09/22)

	जनहित कार्य व्यवस्था में आपके द्वारा असहयोग किया जाना चिकित्सीय धर्म के प्रतिकूल है। इससे सरकारी व्यवस्था के प्रति मरीजों में अविश्वास पैदा होता है। जो विहित कार्य संपादन में अनियमितता का द्योतक है।		विहित कार्य संपादन में अनियमितता
6	कतिप्रय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप मुख्यालय से बाहर अपना निजी क्लिनिक में मरीज को देखते हैं एवं अर्थोपार्जन कर रहे हैं। एक सरकारी सेवक/चिकित्सक नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के घंटे में विहित कार्य के बदले में निजी तौर पर अर्थोपार्जन करते हैं तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य के साथ-साथ नियोजन नियोक्ता संबंध की परिधि में प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य माना जा सकता है एवं तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई योग्य है।		आपराधिक कृत्य
7	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2473 दिनांक 15.9.2022 द्वारा कार्य स्थल पर योगदान हेतु निर्देशित किया गया परन्तु आपके द्वारा न कोई सूचना दी गई है न ही कार्य स्थल पर योगदान दिया गया है। पुनः पत्रांक 2622 दिनांक 28.09.2022 द्वारा विहित आरोपों के क्रम से आपसे स्पष्टीकरण पुछा गया जो आज तक अप्राप्त है। आपका उक्त आचरण सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली को प्रदर्शित करता है।	पत्रांक 2473 दिनांक 15.09.2022 एवं पत्रांक 2622 दिनांक 28.09.2022	सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली

10/10/22

असैनिक शत्रु चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।



पत्राक. 2622 /

प्रेषक,

डा० प्राण मोहन सहाय,
असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा में,

डा० रूपेश कुमार,
चिकित्सा पदाधिकारी,
सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :-
पिता - नित्यानन्द यादव,
गँव - पथड़डा, प्रखण्ड - फुल्लीडुमर,
पोस्ट - फुल्लीडुमर, जिला - बाँका,
पिन कोड - 813101
मो० - 9006766679

मुंगेर, दिनांक :- 28-09-2022

विषय - विहित आरोपों के क्रम में स्पष्टीकरण

प्रसंग :- उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 29.09.2022, जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022, इस कार्यालय का पत्रांक 2312 दिनांक 03.09.2022 एवं पत्रांक 2473 दिनांक 15.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में आपको कार्य स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया, जिसका आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त संदर्भ में आपके अनियमित कार्य शैली को दृष्टिगत कर समीक्षोपरांत निम्नलिखित आरोप की प्रकृति निर्धारित होती है जो प्रथम दृष्टया वृहत चण्डालक कार्रवाई के योग्य है--

1. सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारु संचालन हेतु आपकी रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनांक 14.8.2022 को बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति का द्योतक है।
2. सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर ड्यूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी। एक सरकारी सेवक एवं चिकित्सक के रूप में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के कारण जनहितकारी व्यवस्था में कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशानुसार क्रियान्वयन में आपके निष्ठा एवं समर्पण के अभाव को दर्शाता है।
3. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2312 दिनांक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है।
4. चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

Mobile No. 947003466

Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,



पत्रांक.....2473...../

प्रेषक -

डा० प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा में -

डा० रूपेश कुमार,
चिकित्सा पदाधिकारी,
सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :-
पिता - नित्यानन्द यादव,
गाँव - पथड़डा, प्रखण्ड - फुल्लीडुमर,
पोस्ट - फुल्लीडुमर, जिला - बाका,
पिन कोड - 813101
मो० - 9006766679

मुंगेर, दिनांक :- 15.09.2022

विषय :- अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 2312 दिनांक 03.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा कार्यस्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा स्पष्टीकरण की मांग के साथ योगदान करने का निर्देश दिया गया था। जो आज तक की तिथि तक अप्राप्त है। साथ ही आपके द्वारा कार्य स्थल पर योगदान भी नहीं किया गया है।

अतः आपको अंतिम रूप से स्मरित किया जा रहा है कि कार्य स्थल पर योगदान देकर अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध करावें अन्यथा आप पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशासन कर दी जायगी।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापक.....2473...../मुंगेर, दिनांक :- 15-09-2022

प्रतिलिपि - उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रभारी उपाधीक्षक, अनु० अस्पताल, ह० खडगपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा-02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

6/c



समाहरणालय, मुंगेर
(गोपनीय शाखा)

दूरभाष सं० 06344 222401, 221002(अ०)
06344 222102, 221001(क०)
फैक्स सं० 06344 222254
email- dm-munger bth@nic.in

पत्राक- 26000 / गो०, दिनाक- 02/09/22

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेना में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

विषय .

सदर अस्पताल मुंगेर में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के अनाधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त स्पष्टीकरण पूछने के संबंध में।

प्रसंग .

उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का पत्राक 982, दिनांक 02/09/2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सदर अस्पताल, मुंगेर में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सदर अस्पताल में 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने में हो रही समस्याओं के दृष्टिगत संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति सलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों से अनधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त अविलम्ब स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन से अधोहरताक्षरी को अवगत कराया जाय।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

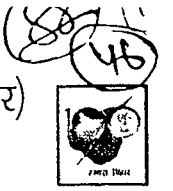
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

02/09/22

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

Mobile No. 947003466

Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,



पत्रांक...2312...../

प्रेषक -

डा० प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा में -

डा० रूपेश कुमार,
चिकित्सा पदाधिकारी,
सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :-
पिता - नित्यानन्द यादव,
गाँव - पथड़ड़ा, प्रखण्ड - फुल्लीडुमर,
पोस्ट - फुल्लीडुमर, जिला - बाका,
पिन कोड - 813101
मो० - 9006766679

मुंगेर, दिनांक :- 03-09-2022

विषय :- अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :- उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 2.9.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आप दिनांक 14.08.2022 से आज की तिथि तक बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। आपके इस मनमाना पूर्ण कार्य से सदर अस्पताल में 24x7 चिकित्सीय व्यवस्था संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं विधिव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। विदित हो कि सदर अस्पताल, मुंगेर में आये सभी मरीजों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवा दिया जाना सरकार की जनकल्याणकारी उद्देश्य है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, सरकारी सेवक के विहित आचरण के प्रतिकूल कार्यशैली तथा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन आदि का परिचायक है। इससे जनमानस में स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब हो रही है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपको निदेशित है कि कार्यस्थल पर पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर योगदान देते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारी को अनुशांसा की जाय।

समय योगदान नहीं करने एवं स्पष्टीकरण की अनुपलब्धता की स्थिति में ये समझा जायेगा कि आपको बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापक...2312...../मुंगेर, दिनांक :- 03-09-2022

प्रतिलिपि :- उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा-02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।